मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 4472-5 जी एस 0-71/2450 दिनांक 20-8-71 की प्रति ।

विषय :—मन्त्री/विधान सभा सदस्यों की सिफारिश के लिये पहुंचना

मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3598-जी0 एस0 68/18351, दिनांक 22-7-68 की ओर दिलाऊं (जिस में यह लिखा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को मन्त्री विधान सभा सदस्यों तथा पब्लिक के दूसरे प्रभावी सदस्यों से नियुक्ति, बदली और दूसरे सेवा सम्बन्धित मुआमलों में सिफारिश नहीं करानी चाहिए और जो कर्मचारी ऐसा करेंगे वे अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे), और कहूं कि इस प्रकार के दृष्टान्त नोटिस में आए हैं, जिन में सरकारी कर्मचारियों ने इन हिदायतों की उल्लघंना की है परन्तु सम्बन्धित विभागों ने उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की ।

2. इस मुआमले पर पंजाब सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1966 की सम्बन्धित व्यवस्था के संदर्भ में जांच की गई है और ऐसा देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की चूक अनुशासन के विरुद्ध है। इससे उपर्युक्त नियमावली के उप नियम 20 की उल्लघंना होती है । इसलिए यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसे केसों में चूक कर्ता कर्मचारी के विरुद्ध पंजाब सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियमावली 1952 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हमेशा की जाया करे और उपयुक्त दण्ड दिया जाये । इस के इलावा अगर किसी विशेष हालात के कारण इस प्रकार का दण्ड न दिया जाये और सम्बन्धित कर्मचारी को केवल चेतावनी या सरकार की नराजगी लिखित रूप में जारी की जाये, तो ऐसी Communication की एक प्रति उसकी व्यक्तिगत फाईल (Personal File) में भी जरूर लगाई जावे ।

3. यह निवेदन किया जाता है कि इन हिदायतों पर दृढता पूर्वक अमल किया जावे और अपने अधीन काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को विशेष तौर पर नोटिस में लाई जायें । कृपया इस की पावती भी भेजें ।

भवदीय,

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।